

## ॥१॥ कृष्ण नीति का उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ करना

पोषक तत्त्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति में अन्तर्निहित था कि उर्वरकों में समाविष्ट प्रत्येक पोषक तत्त्व के लिए राजसहायता को निर्धारित किया जाएगा। राजसहायता के निर्धारण के साथ, फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों की विक्रय कीमत को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया और उन्हें बाजारीय शक्तियों द्वारा निर्धारण के लिए छोड़ दिया गया। यद्यपि फार्म गेट कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और राजसहायता स्तर पर निर्भर थी, इसलिए यह अपेक्षित था कि प्रतिस्पर्धा न केवल फार्म गेट कीमतों को नियंत्रित करेगी बल्कि उर्वरक उद्योग को किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए नए उर्वरकों के उत्पाद के विकास, कृषि भूमि की विस्तार सेवाएँ, ब्रॉड का निर्माण, उत्पाद के विशिष्टीकरण आदि द्वारा उन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आगे यह भी अपेक्षित था कि देश में उर्वरक की बढ़ी हुई माँग पर आधारित बेहतर उर्वरक उत्पादों और स्वदेशी उद्योग के विकास के द्वारा संतुलित उर्वरक के दोहरे उद्देश्यों को पाने की दृष्टि से द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले नए उर्वरकों को शामिल करने के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए।

एनबीएस नीति को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ किया गया:

- उर्वरकों के संतुलित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना;
- स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को सुधारना;
- राजसहायता बिल को सीमित करना;
- उर्वरक निर्माता/आयातक द्वारा एमआरपी को उचित स्तर पर निर्धारित करने के लिए नियंत्रण मुक्त करना।

### 3-1 उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ करना

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए डीओएफ के रिकॉर्ड ने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एनबीएस नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी स्पष्ट दिशानिर्देश को प्रकट नहीं किया।

डीओएफ ने समापन सम्मेलन (नवम्बर 2014) के दौरान कहा कि उर्वरक उत्पादन और राजसहायता का विनियमन जटिल मामले हैं। इसके अतिरिक्त यूरिया तथा पीएण्डके उर्वरकों के लिए दो अलग नीतियाँ होने और दो अलग-अलग नीतियों के उद्देश्यों के समान लक्ष्य होने से डीओएफ के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशानिर्देश तथा समयसीमा निर्धारण एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एनबीएस योजना के आरम्भ के पश्चात, डीओएफ ने भारत सरकार के राजसहायता बजट को काफी हद तक कम कर दिया था। डीओएफ ने किसानों को पीएण्डके उर्वरकों की अनुपलब्धता जैसे बड़े मामले का भी समाधान किया और वर्ष भर समय पर पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। योजना के कार्यान्वयन के दौरान पायी गई कुछ विसंगतियों के लिए संशोधनात्मक कार्रवाई को भी प्रारंभ किया जा चुका है। डीओएफ ने यह भी कहा कि एनबीएस के प्रारम्भ हेतु अनुमोदित कैबिनेट नोट (फरवरी 2010) में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध थे। डीओएफ ने आगे यह भी उत्तर दिया (मार्च 2015) कि एनबीएस नीति के उद्देश्य स्थायी प्रकृति के थे तथा उनकी प्राप्ति अन्य कारकों पर निर्भर थी। अतः उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश अथवा समयसीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

डीओएफ द्वारा संदर्भित कैबिनेट नोट की जाँच ने दर्शाया कि नोट के अनुलग्नक IX में एनबीएस के लिए कार्यान्वयन योजना के साथ राजसहायता प्राप्त उर्वरक उत्पादों के विभिन्न पोषक तत्वों के लिए

पोषक तत्व आधारित राजसहायता का निर्धारण समाविष्ट है। यह प्रति पोषक तत्व के लिए राजसहायता के निर्धारण, मालभाड़े के समानीकरण, उद्योगों को राजसहायता देने और उत्पादन तथा वितरण आदि पर एनबीएस योजना के अपेक्षित प्रभाव जैसे प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करता है। हालाँकि इसने न तो किसी भी निगरानी प्रक्रिया पर विचार किया और न ही योजना के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी समयसीमा को परिभाषित किया। इसके अतिरिक्त, डीओएफ का दावा कि नीति की प्राप्ति के लिए दिशानिर्देश तथा समयसीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी बड़ी योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देश एवं समयसीमा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त है।

**vupi k 1 %** नीति के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देशों, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाण निर्धारित करने योग्य सुपुर्दगियों और विशिष्ट समयसीमा को इंगित करते हों, को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

### 3-2 i kskd rRok dk vI rfyk mi ; kx

फरवरी 2010 में, एनबीएस नीति को अंतिम रूप देते हुए, कैबिनेट नोट में दर्शाया गया कि भारतीय कृषि में 'एन', 'पी', एवं 'के' पोषक तत्वों का कुल उपयोग 4%<sup>14</sup> के वरीयता अनुपात की तुलना में 5.3%<sup>2.2%</sup> था। उर्वरक राजसहायता को तर्कसंगत बनाने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह (जुलाई 2009 में सचिवों की समिति की बैठक में चर्चा की गई) की रिपोर्ट के अनुसार 'एन' के पक्ष में असंतुलित उपयोग के लिए अधिक राजसहायता प्राप्त यूरिया (जिसमें 'एन' है, डीएपी की तुलना में जिसमें 'पी' है), की कीमत को योगदान करने वाले कारकों में से एक माना गया।

2007–08 से 2013–14 के दौरान 'एन', 'पी' एवं 'के' के उपभोग अनुपात का विवरण तालिका-3 में दिया गया है:

**rkfydk 3 % ^, u\*] ^i h\* , oad^ds dk mi Hkkx vuq kr<sup>14</sup>**

o"kl	mi Hkkx vuq kr ¼, u% h%d%
2007-08	5.5:2.1:1
2008-09	4.6:2.0:1
2009-10	4.3:2.0:1
2010-11	4.7:2.3:1
2011-12	6.7:3.1:1
2012-13	8.2:3.2:1
2013-14	8.0:2.7:1

4:2:1 (एन:पी:के) के वरीयता अनुपात की तुलना में 'एन' 2009–10 में 4.3 से 2012–13 में 8.2 के अनुपात स्तर तक बढ़ गया। 2013–14 में अनुपात 8%<sup>2.7%</sup> पर रहा। यह मुख्य रूप से इस कारण से था कि किसान 'एन' वाले यूरिया को पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में सरते होने के कारण वरीयता देते थे यद्यपि इसके प्रयोग से मृदा की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार से, यह स्पष्ट है कि एनबीएस नीति मृदा में 'एन', 'पी' एवं 'के' पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग को नियंत्रित करने में

<sup>14</sup> स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग

असफल रही, जो इस तथ्य को इंगित करता है कि संतुलित उर्वरण को बढ़ावा देने के प्रयास सही रूप से निर्दिष्ट और प्रचारित नहीं हुए।

डीओएफ ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पीएण्डके उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ जबकि यूरिया की कीमतों में तुलनात्मक स्थिरता थी। डीओएफ ने आगे कहा (अक्तूबर 2014) कि दो भिन्न योजनाओं के अधीन यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों की राजसहायता के विनियमन के कारण देश में 'एन', 'पी' एवं 'के' के विद्यमान अनुपात में विकृति थी। समापन सम्मेलन (नवंबर 2014) के दौरान डीओएफ ने सूचित किया कि वह इस मामले के समाधान के लिए यूरिया हेतु न्यू प्राइसिंग स्कीम (एनपीएस) में संशोधन करने की प्रक्रिया में थे। डीओएफ ने फिर उत्तर दिया (मार्च 2015) कि एनबीएस योजना उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है। उर्वरकों के प्रयोग में किसी तरह का असंतुलन पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कीमतों का कम होना है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है तथा यूरिया नीति के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में थी।

डीओएफ के उत्तर इन तथ्यों के प्रकाश में देखने होंगे कि भारत सरकार की एक ओर पीएण्डके उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त करने तथा दूसरी ओर यूरिया की कीमतों पर उसका नियंत्रण जारी रखने की नीति से उपभोग संतुलन विरुद्ध हो गया क्योंकि पीएण्डके उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कीमत में अधिक वृद्धि नहीं देखी गई। जो कि इस तथ्य द्वारा स्पष्ट होता है कि 2010–11 से 2013–14 के बीच यूरिया की प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) की कीमत केवल 1 प्रतिशत तक (2010–11 में ₹5310 से 2013–14 में ₹5360 तक) बढ़ी जबकि उसी अवधि के दौरान पीएण्डके उर्वरकों की कीमतों में 104 प्रतिशत (एनपीके 15–15–15–0 के लिए 2010–11 में ₹7421 पीएमटी से 2013–14 में ₹15150 पीएमटी तक) और 251 प्रतिशत (एमओपी 0–0–60–0 के लिए 2010–11 में ₹5055 पीएमटी से 2013–14 में ₹17750 पीएमटी तक) तक वृद्धि हुई।

इसके परिणामस्वरूप यूरिया और प्रमुख पीएण्डके उर्वरकों की कीमतों के बीच बड़ा अंतर था। इसलिए किसानों के लिए यह स्वाभाविक था कि वह पीएण्डके उर्वरकों के लिए यूरिया को प्रतिस्थापित करें जिसके परिणामस्वरूप पीएण्डके की तुलना में 'एन' के लिए उपभोग अनुपात विषम हो गया।

पीएसी (2012–13) ने 30 अप्रैल 2013 को संसद में रखी गई अपनी 81वीं रिपोर्ट में यह भी चाहा कि "विभाग राष्ट्र की संतुलित उर्वरक आवश्यकता को उपयुक्त संयोजनों और आवश्यक इनपुट सहित सक्रिय संकल्पना के रूप में समाधान करे ताकि एक लक्षित समयसीमा के भीतर एनबीएस नीति के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके"।

तथ्य यह रहा कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यूरिया मूल्यांकन नीति को शीघ्र पुनरीक्षण की आवश्यकता थी।

वृद्धि के 2% डीओएफ यूरिया की कीमतों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण सहित उचित रूप से समन्वित विशिष्ट उपायों को रखे तथा प्रचार की एक समर्पित योजना के द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग के लाभों को किसानों तक पहुँचाए।

### 3-3 mRi knu e॥ de॥

एनबीएस नीति के अन्तर्गत स्वदेशी उर्वरक उद्योग<sup>15</sup> के विकास के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि की अपेक्षा थी। हालांकि यह पाया गया कि एनबीएस व्यवस्था के दौरान डीएपी और मिश्रित

<sup>15</sup> देश फॉर्मस्टेट्युक्ट क्षेत्र में 90 प्रतिशत तक और पोटाशयुक्त क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक या तो तैयार उत्पाद अथवा कच्चे माल के रूप में आयातों पर निर्भर था। पीएण्डके उर्वरकों के मुख्य भागों के साथ-साथ पीएण्डके उर्वरकों के लिए नाईट्रोजन की आवश्यकता को या तो आयातित कच्चे माल/मध्यस्थितों के साथ उत्पादन द्वारा अथवा तैयार उर्वरकों के आयात द्वारा उपलब्ध कराया गया।

उर्वरक के उत्पादन स्तर नहीं बढ़े। 2009–10 से 2013–14 के दौरान उर्वरक उत्पादन संयंत्रों और स्थापित क्षमता की संख्या का विवरण तालिका 4 में दिया गया है:—

#### rkfydk 4 % 2009&10 | s 2013&14 ds nkjku LFkkfi r {kerk

(क्षमता लाख एमटी में )

o"kl	I q a=ka dh   a; k		LFkkfi r {kerk	
	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	डीएपी	मिश्रित उर्वरक
2009-10	13	21	72.99	52.22
2010-11	13	21	72.99	52.22
2011-12	13	21	72.99	52.22
2012-13	13	21	72.99	52.22
2013-14	13	21	83.32	60.71

तालिका 4 में आँकड़ों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना एनबीएस नीति के उद्देश्यों में से एक था। एनबीएस नीति के कार्यान्वयन की अवधि (2010–11 से 2013–14) के दौरान न तो उर्वरक संयंत्रों की संख्या में कोई वृद्धि हुई और न ही इन उर्वरक संयंत्रों की स्थापित क्षमता में कोई वृद्धि हुई। वास्तव में संयंत्रों की संख्या और उनकी स्थापित क्षमता 2003–04 से रिश्वर रही। यद्यपि 2013–14 में भी संयंत्रों की संख्या वही रही परंतु उसी वर्ष के दौरान डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के लिए स्थापित क्षमता आंशिक रूप से क्रमशः 10.33 एलएमटी और 8.49 एलएमटी तक बढ़ गई थी।

2009–10 से 2013–14 के दौरान डीएपी और अन्य मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन स्तर का विवरण तालिका 5 में दिया गया है:—

#### rkfydk 5 % 2009&10 | s 2013&14 ds nkjku okLrfod mRi knu<sup>16</sup>

(उत्पादन लाख एम टी में)

mRi kn	2009-10	LFkkfi r {kerk	2010-11	LFkkfi r {kerk	2011-12	LFkkfi r {kerk	2012-13	LFkkfi r {kerk	2013-14	LFkkfi r {kerk
Mh, i h <sup>17</sup>	42.47	58.18	35.37	48.46	39.63	54.29	36.47	49.97	36.11	43.33
fefJr mojd	80.38	153.93	87.27	167.11	77.70	148.79	61.81	118.34	69.13	113.86

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि:

<sup>16</sup> एमओपी पर विश्लेषण के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि देश एमओपी के लिए 100 प्रतिशत आयात पर निर्भर था।

<sup>17</sup> डीएपी वर्ग के उर्वरकों में एमएपी/ठीएसपी/डीएपी लाईट समिलित हैं।

- डीएपी का उत्पादन जो कि 2009–10 (रियायत योजना) में स्थापित क्षमता का 58.18 प्रतिशत था वह 2013–14 में स्थापित क्षमता के 43.33 प्रतिशत तक गिर गया। जहाँ तक वास्तविक उत्पादन का प्रश्न है, यह 2009–10 से 2013–14 के दौरान 14 प्रतिशत तक गिर गया।
- इसके अतिरिक्त, 2009–10 से 2013–14 के दौरान मिश्रित उर्वरक के उत्पादन में भी 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि यह 2009–10 में 80.38 एलएमटी से 2013–14 के दौरान 69.13 एलएमटी तक गिर गया।
- यद्यपि मिश्रित उर्वरक के संदर्भ में क्षमता उपयोग डीएपी से बेहतर था परंतु 2009–10 से 2013–14 के दौरान मिश्रित उर्वरक संयंत्रों की समग्र क्षमता उपयोग में कमी हो गयी। मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करने वाले उर्वरक उद्योग 2009–10 में अपनी क्षमता का 153.93 प्रतिशत उपयोग कर रहे थे जो 2013–14 में 113.86 प्रतिशत तक गिर गया।

डीओएफ ने कहा (जून 2014) कि एनबीएस नीति में, एसएसपी के अलावा पीएण्डके उर्वरकों के लिए कोई अधिकतम/न्यूनतम उत्पादन सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एसएसपी के संदर्भ में, राजसहायता के लिए पात्र होने के लिए एक इकाई को उसकी वार्षिक स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा 40000 एमटीपीए<sup>18</sup> जो भी कम हो का उत्पादन करना आवश्यक था। जहाँ तक क्षमता उपयोग का संबंध है पीएण्डके उर्वरक कम्पनियाँ अपने वाणिज्यिक महत्व के अनुसार राजसहायता प्राप्त उत्पादों की मात्रा का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र थीं।

लेखापरीक्षा अवलोकन एवं डीओएफ के उत्तरों को इन तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए कि एनबीएस नीति का एक उद्देश्य स्वदेशी उर्वरक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना था। साथ ही, रियायत योजना की प्रमुख कमियों में से एक, डीओएफ द्वारा अवलोकित किया गया कि 2000 से 2009 के दौरान उर्वरक क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनबीएस नीति के आरंभ के पश्चात् उर्वरक क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की संख्या में वृद्धि या स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए कोई सार्थक निवेश नहीं किया गया।

आगे, कम्पनियों के लिए तैयार उत्पादों को आयात करने की अपेक्षा कच्चे पदार्थ/व्युत्पन्न को आयात करने और इनसे तैयार उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि एनबीएस ने तैयार उत्पाद आयातित करने वाली कम्पनियों तथा तैयार उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल आयातित करने वाली कम्पनियों में कोई फर्क नहीं किया। इसलिए उर्वरक कम्पनियों ने तैयार उत्पादों का आयात करने को वरीयता दी।

डीओएफ ने तर्क दिया (अक्टूबर 2014) कि देश में उपलब्ध संभरण या भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए बिना कोई भी कम्पनी उर्वरक व्यवसाय में प्रवेश नहीं करेगी, जहाँ उर्वरक कम्पनियों की स्थापना में विशाल निवेश की आवश्यकता है। इसलिए पीएण्डके उर्वरक क्षेत्र में, एनबीएस के प्रारम्भ किये जाने के बाद भी, कोई निवेश नहीं हुआ। देशी उद्योगों को कच्चा माल/व्युत्पन्न को आयात करने के लिए प्रोत्साहन के संदर्भ में, डीओएफ ने पहले ही वित्त मंत्रालय के साथ कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम करने का मामला उठाया था।

हालाँकि यह तथ्य रहता है कि स्वदेशी उर्वरक उद्योग की वृद्धि को सुधारने के उक्त उद्देश्य के साथ एनबीएस नीति को लाने के बावजूद भी स्वदेशी उर्वरक उद्योग द्वारा पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट आई। डीओएफ भारत सरकार की नोडल एजेन्सी होने के नाते भारत सरकार के अन्तर्गत अन्य

<sup>18</sup> सीट्रिक टन प्रतिवर्ष

विभागों के साथ स्वदेशी उर्वरक उद्योग में वृद्धि करने तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित रणनीति बनाए।

vupak 3 % डीओएफ को वित्त मंत्रालय के घनिष्ठ समन्वय के साथ उर्वरक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि तथा इसके प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने चाहिए। पीएण्डके उर्वरक के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को शीघ्र अपनाने की अनुशंसा की जाती है।

3-4 , uch, I uhfr ds vUrxIr vk; kfrr , oa Lons kh mojdka ij jktI gk; rk

2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान आयातित एवं स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान की स्थिति तालिका–6 में दर्शाई गई है:—

rkyd 6 % Lons kh , oa vk; kfrr i h, . Mds mojdka ij Hkkrku dh x; h jktI gk; rk dh  
j kf' k

i h, . Mds mojd h k mRi knh	jktI gk; rk /# djKM+eV Yek=k&yk[k ehfVd Vu eV, y, eVhV									
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	राशि Yek=kh	प्रतिशत	राशि Yek=kh	प्रतिशत	राशि Yek=kh	प्रतिशत	राशि Yek=kh	प्रतिशत	राशि Yek=kh	प्रतिशत
Lons kh	16000 (153.78)	40.56 (58.56)	20650 (154.10)	49.76 (51.10)	19943 (170.28)	55.23 (53.96)	16000 (144.05)	52.33 (64.50)	15500 (147.51)	52.67 (68.44)
vk; kfrr h k mRi knh	23452 (108.83)	59.44 (41.44)	20850 (147.46)	50.24 (48.90)	16165 (145.26)	44.77 (46.04)	14576 (79.27)	47.67 (35.50)	13927 (68.0)	47.33 (31.56)
; kx	39452 (262.61)	100	41500 (301.56)	100	36108 (315.54)	100	30576 (223.32)	100	29427 (215.51)	100

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- स्वदेशी पीएण्डके उर्वरक पर राजसहायता जोकि 2009–10 में उस वर्ष के कुल राजसहायता व्यय का 40.56 प्रतिशत थी, 2013–14 में बढ़कर 52.67 प्रतिशत हो गई। डीओएफ ने 2009–10 में 153.78 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी उर्वरकों के लिए ₹16000 करोड़ की राजसहायता निर्गत की और 2013–14 में 147.51 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी उर्वरकों के लिए ₹15500 करोड़ राजसहायता निर्गत की।
- आयातित पीएण्डके उर्वरकों के लिए 2009–10 में राजसहायता जोकि कुल राजसहायता व्यय का 59.44 प्रतिशत थी, 2013–14 में घटकर 47.32 प्रतिशत हो गयी। 2009–10 के दौरान, डीओएफ ने 108.83 लाख मीट्रिक टन आयातित उर्वरकों के लिए ₹23452 करोड़ राजसहायता के रूप में निर्गत किये तथा 2013–14 के दौरान 68 लाख मीट्रिक टन के आयातित उर्वरकों पर ₹13927 करोड़ राजसहायता के रूप में निर्गत किये गये।

स्पष्ट रूप से, एनबीईस नीति के प्रारंभ के बाद राजसहायता बिल को कम रखने का उद्देश्य प्राप्त किया गया था। हालाँकि लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के साथ–साथ उनके आयातों में भी गिरावट आयी, जो दर्शाता है कि देश में इन उर्वरकों की उपलब्धता कम है। यह संकेत करता है कि इस अवधि के दौरान, देश में पीएण्डके उर्वरकों की खपत में गिरावट आयी और जैसाकि पैरा 3.3 में पहले ही बताया जा चुका है, माँग अधिक राजसहायता प्राप्त यूरिया की ओर मुड़ गई।

डीओएफ ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में बताया कि आयात पर राजसहायता को किसी विशेष स्तर पर बनाये रखने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चूँकि अधिकाँश पीएण्डके उर्वरक आयातित थे तथा भारत सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को नियंत्रित नहीं किया, अतः दो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राजसहायता में घटत—बढ़त होगी। इसके अतिरिक्त, समग्र राजसहायता भार एक ही स्तर पर बना रहा।

हालाँकि उत्तर देश में पीएण्डके उर्वरकों की घटती हुई खपत के बारे में मौन था जो कि एनबीएस नीति के अंतर्गत विचारित उर्वरकों के संतुलित उपयोग की प्राप्ति न होने के लिए एक प्रधान योगदानकर्ता है।

### 3-5 xq koUkk fu; t.k

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) की अनुसूची II तथा उसमें हुए विभिन्न संशोधनों में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा लॉट/बैग, छोटे—बड़े गोदामों तथा बड़े भंडारणों से उर्वरक प्रतिदर्श निकालने की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन है। एफसीओ संग्रह किये गये प्रतिदर्शों के विश्लेषण तथा विश्लेषण के लिए समयसीमा तथा परिणामों की सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया को भी वर्णित करती है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, संग्रहित प्रतिदर्शों के परीक्षण के लिए, विभिन्न राज्यों में 78 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ (एफक्यूसीएल) थीं, जिनमें फरीदाबाद, कल्याणी (कोलकाता), मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित भारत सरकार की प्रयोगशालाएँ थीं।

डीओएफ द्वारा प्रस्तुत किये गए विभिन्न राज्यों में एफक्यूसीएल की विश्लेषण क्षमता के राज्य—वार और वर्ष—वार ऑकड़ों (2010–11 से 2013–14) ने दर्शाया कि कुछ राज्यों में विश्लेषण क्षमता का सततरूप से कम उपयोग हुआ जबकि अन्य राज्यों में जाँचे गए नमूनों की संख्या क्षमता की तुलना में अधिक थी। उदाहरण के लिए 250 की विश्लेषण क्षमता की तुलना में 2010–11 से 2013–14 के दौरान मिजोरम एफक्यूसीएल में जाँचे गए नमूनों की संख्या शून्य से पाँच थी। इसके विपरीत 2013–14 में 7500 की विश्लेषण क्षमता की तुलना में गुजरात एफक्यूसीएल में जाँचे गए नमूनों की संख्या 14623 थी। 2010–11 से 2013–14 के दौरान सभी प्रयोगशालाओं में जाँचे गए नमूनों का विवरण vuyg\ud IV में दिया गया है।

यह एक ओर तो निर्मित सुविधाओं के उपइष्टतम उपयोग को दर्शाता है और दूसरी ओर अत्यधिक उपयोग को दर्शाता है, दोनों सुविधाओं के आलोचनात्मक पुनरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयासों को सुधारने के लिए आवश्यकता पर बल देते हैं।

डीओएफ (नवम्बर 2014) ने समापन सम्मेलन में कहा कि :

- डीएसी ने सूचित किया कि इसने विभिन्न फोरमों में विभिन्न हिस्सेदारों द्वारा सुझायी गयी दिशा में एक नया उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम बनाया है जोकि अन्य देशों के कानूनों के समान होगा।
- इस संबंध में, ग्रेडों की अधिसूचना, पंजीकरण/अनुज्ञाप्तिकरण, रेफरी विश्लेषण जैसे विभिन्न पक्षों को शामिल करते हुए एक विस्तृत संकल्पना पत्र तैयार किया गया तथा राज्य सरकारों एवं हिस्सेदारों को टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया गया तथा डीएसी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रस्तावित अधिनियम में पहले से ही, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों से संबंधित उपयुक्त प्रावधान हैं।

- डीओएफ ने डीएसी को 19 सितम्बर 2014 को फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों की गुणवत्ता प्रवर्तित करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया जिस पर केन्द्रीय उर्वरक समिति हिस्सेदारों के साथ शीघ्र ही विचार-विमर्श कर सके तथा दो माह के अंदर कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप रेखा तैयार कर सके।

हालाँकि, यह तथ्य फिर भी रह जाता है कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को प्रभावी बनाने के पर्याप्त अवसर अभी शेष हैं।

वृप्ति के 4% एफक्यूसीएल के उपयोग का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन सुविधाओं का परिहार्य कम उपयोग अथवा अत्यधिक उपयोग न हो।